न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2860 सन् 2026**,
मनीष पुत्र मनोज उर्फ हरीचन्द, निवासी ग्राम सादाबाद नगला, थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।
मुकदमा अपराध संख्याः—198 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः—137(2) व 87 बी.एन.एस.
थानाः—अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

01. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रथम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. संक्षेप में प्राथमिकी के कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राहुल पुत्र राजू, निवासी ग्राम बकसरा, थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर ने थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी कि दिनाँक 06.05.2026 को समय करीब सुबह 04.00 बजे उसकी बहन पूजा घर से शौच करने के लिए बाहर गयी थी जो लौटकर नही आयी है, उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी बहन की उम्र करीब 17 वर्ष है। वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रचलित की गयी।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नही किया है जैसा कि एफ0 आई0 आर0 में दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त को वासज पुलिस मुकदमा उपरोक्त में झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है और वाद में आवेदक/अभियुक्त को वाद उपरोक्त में झूँठा फसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी लडकी की कोई बरामदगी नही हुई है। पुलिस ने महज प्रार्थी को खड़े हुए यह दर्शाया है कि अपर्हता लडकी के पास से बरामद हुई है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। लडकी ने प्रार्थी का नाम थाने में या अन्यथा कही भी उसे भगाने में या उसके साथ बदतमीजी करने में नही दिखाया है। पुलिस ने प्रार्थी को घर से उठाकर नाजायज रूप से दो दिन थाने में रखकर उसका वाद उपरोक्त में चालान किया है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्राथमिकी के कथनों पर बल देते हुए जमानत का पुरजोर विरोध कर कथन किया गया कि पीड़िता के शैक्षिक प्रमाणपत्र के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 08.08.2009 है। पीड़िता की उम्र घटना की दिनांक 16 वर्ष 8 माह 28 दिन थी। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

06. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. प्रकरण की प्राथमिकी अज्ञात में धारा 137 (2) बी.एन.एस के अधीन पंजीकृत कराये जाने तथा विवेचना के दौरान धारा 87 बी.एन.एस. की वृद्धि किये जाना कहा गया है।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि वह अभियुक्त के साथ बस से नोएडा गयी थी और वहां एक दिन रहकर वापस बुलन्दशहर आ

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 18:00:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी। पीड़िता आवेदक/अभियुक्त के साथ रहना चाहती है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गयी।

आवेदक/अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में आवेदक दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण दोष पर जाते हुए आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाये :–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा,
3. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.06.2026